

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3—उप-खण्ड—(i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2008/वैशाख 2, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2008/VAISAKHA 2, 1930

No. 214]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2008

सा.का.नि. 298(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा नीचे दर्शाई जा रही तालिका में क्रम सं. 1-2 में उल्लिखित व्यक्तियों को दो वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 1-4-2008 से 31-3-2010 तक कांडला पत्तन के बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और उन्हें इस बोर्ड में अधिसूचित करती है, अर्थात :—

तालिका

- कमांडर, तट रक्षक के प्रतिनिधि । तट रक्षक जिला मुख्यालय सं. 1, पोरबन्दर
- मुख्य भाड़ा यातायात प्रबंधक, भारतीय रेल के प्रतिनिधि । पश्चिमी रेलवे

[फा. सं. पी टी-18011/12/2007-पीटी] राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping) (PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2008

G.S.R. 298(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Number 1-2 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla for a period of two years with effect from 1-4-2008 to 31-3-2010 and notifies the same on the same Board namely:—

TABLE

- 1. Commander, Coast Representing Coast Guard. Guard Distt. Hqrs.
 No. 1, Porbandar.
- Chief Freight Traffic Representing Indian Manager, Western Railways
 Railway

[F. No. PT-18011/12/2007-PT] RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.